Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, रवि शंकर प्रसाद की ओर से, मैं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 21क की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकीय आंकड़ा) संशोधन नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 270(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान) संशोधन नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2722/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 332(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 2723/17/20]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 331(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खनिज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से इतर) रियायत (संशोधन) नियम, 2020 जो 20 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 191(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सा.का.नि. 445(अ) जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोयला (वाणिज्यिक खनन) की ब्रिकी के प्रयोजन से कोयला ब्लॉक्स या खानों की नीलामी से उत्पादित कोयले की रॉयल्टी की दर के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में एक परंतुक अंत:स्थापित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 1694(अ) जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 2724/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी**,** डॉ**.** जितेन्द्र सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भूतपूर्व-सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2020 जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2725/17/20]

(3) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2726/17/20]

(5) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2020 जो 16 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 253(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2727/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी**,** श्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2)उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2728/17/20]

(3) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-

(एक) का.आ. 3547 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(दो) का.आ. 3982 (अ) जो 4 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 10, अनुसूची 2 के क्रमांक 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन किया गया है।

(तीन) का.आ. 134 (अ) जो 9 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 10, अनुसूची 2 के क्रमांक 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन किया गया है।

(चार) का.आ. 487 (अ) जो 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(पांच) का.आ. 571 (अ) जो 6 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(छह) का.आ. 854 (अ) जो 25 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्याक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(सात) का.आ. 938 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(आठ) का.आ. 955 (अ) जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एपीआई और इन एपीआई से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(नौ) का.आ. 1171 (अ) जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मास्क, वेंटिलेटर्स तथा मास्को और कवरऑल्स के लिए कच्ची वस्त्र सामग्री की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(दस) का.आ. 1206 (अ) जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वेंटीलेटर्स जिसमें कोई कृत्रिम श्वसन उपकरण अथवा ऑक्सीज़न उपचार उपकरण अथवा कोई अन्य श्वसन उपकरण/यंत्र और सेनिटाइजर्स शामिल हैं, की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(ग्यारह)का.आ. 1208 (अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और उसके फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(बारह) का.आ. 1227 (अ) जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एनिमल बाइ-प्रॉडक्ट की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(तेरह) का.आ. 1228 (अ) जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रेडसैंड्सवुड के निर्यात तथा इस संबंध में राजस्व आसूचना निदेशालय का समय बढ़ाए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1246 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डायग्नोस्टिक किट्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 1247 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(सोलह)का.आ. 1248 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एपीआई और इन एपीआई से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1264 (अ) जो 17 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पैरासिटामोल (एफ़डीसी सहित) से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(अठारह)का.आ. 1428 (अ) जो 6 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सेनिटाइजर्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(उन्नीस)का.आ. 1509 (अ) जो 16 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मास्क की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2729/17/20]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री सोम प्रकाश की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कंरण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2730/17/20]

2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1023 (अ), जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा डेवलपमेंट काउंसिल फॉर पल्प, पेपर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2731/17/20]

*Available in Master copy of the Debate placed in Library